न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 08/2019

अपीलांट

1. नाथूराम पुत्र भूराराम, जाति भील
2. ओम्बु देवी पत्नी ताराराम,
3. जीतु पुत्र ताराराम
4. देवाराम पुत्र ताराराम, जाति तमाम भील, निवासीगण वाटेरा, तहसील बागोड़ा, हाल भील बस्ती, जसोली, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. पॉचाराम पुत्र तेजीया फौत के कायम मुकामः–
   1/1 सांवलाराम पुत्र पॉचाराम
   1/2 जबराराम पुत्र पॉचाराम
   1/3 पूनमाराम पुत्र पॉचाराम
   1/4 घेवाराम पुत्र पॉचाराम
   1/5 द्रोपी देवी पत्नी पॉचाराम, जाति तमाम भील, निवासी तमाम वाटेरा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस् की ओर से
2. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.06.2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर, भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 पॉचाराम ने अपने जीवनकाल में एक वाद खातेदारी

हक की घोषणा बाबत् इस आश्य का पेश किया कि मौजा वाटेरा तहसील बागाड़ा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 के माफिक नवीन खसरा नम्बर 57 रकबा 3.87 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 288 रकबा 4.99 हैक्टर जुमले रकबार 8.86 हैक्टर खातेदारी रेस्पोडेन्ट व मृतक नाऔलाद भूरा खोले हमीरा कौम भील साकिन वाटेरा के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 47 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा व पुराने खसरा नम्बर 190 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 54 बीघा 8 बिस्वा प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त भूमि पर्चा खतोनी में तेजीया वल्द रघुनाथ व हमीरा वल्द पीरा कौम भील साकिन वाटेरा के नाम दर्ज किया गया तथा प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान खसरा संख्या 47 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा में से ही खसरा संख्या 47/1 रकबा 15 बीघा अलग तरमीम किया गया, उसकी भी खातेदारी उपरोक्तानुसार ही रखी गयी। प्रथम सेटलमेन्ट की प्रकिया समाप्त होने के पश्चात् उपरोक्त भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 47/1 रकबा 15 बीघा व खसरा संख्या 47 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 190 रकबा 29 बीघा 12 बीस्वा जुमले रकबा 54 बीघा 8 बिस्वा तेजीया वल्द रघुनाथ व हमीरा वल्द पीरा के नाम राजस्व रैकर्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर था। लगभग् 2028 में हमीरा पुत्र पीरा का स्वर्गवास हो गया तथा हमीरा के कोई औलाद नहीं होने से तेजीया का पुत्र व अपीलान्ट का पिता भूरा के नाम से नामान्तरणकरण संख्या 63 दिनांक 06.12.197 अभिलेख में अमलदरामद किया गया तथा उसके बाद से जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में उक्त आराजी अपीलांट के पिता भूराराम के नाम से दर्ज रही है। उक्त भूमि का खातेदार हमीरा पुत्र पीरा के कोई संतान नहीं थी इस कारण अपीलांट के पिता को हमीरा को जातिय रीति रिवाज से हमीरा ने अपने जीवनकाल में गोद लिया था और हमीरा के मृत्यू पर अपीलांट के पिता भूरा के नाम नामान्तरणकरण राजस्व अभीलेख में अमल दरामद किया गया तथा यह भी तथ्य रेस्पोडेन्ट ने दावे में लिखा कि भूरा खोले हमीरा अविवाहित था, उसके कोई संतान नही थी, नाऔलाद फौत हो चुका है। सम्पूर्ण भूमि पर पॉचाराम नजदीकी उत्तराधिकारी होने से पॉचाराम के नाम खातेदारी सम्पूर्ण घोषित की जावे। जबकी भूराराम विवाहित था, उसकी मृत्यु दिनांक 20.05.1995 को हुई है। तथा भूराराम की मृत्यु के समय इनके वारीसान जिवित थे। इस प्रकार जीवित वारिसान के बाबजूद पॉचाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में उक्त पक्षकारों को संयोजित नहीं किया और उक्त तथ्य को छुपाकर तथा ग्राम पंचायत राउता पंचायत समिति भीनमाल से एक प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जारी पेश कर खातेदारी हक घोषणा जरिए निर्णय व डिक्री के प्राप्त की है, जो विधि सम्मत नहीं है। साथ ही उक्त विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्से की आराजी अपीलांट के पिता भूराराम हमीरा के गोद जाने से अपीलांटस् को पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुई है। पुश्तैनी सम्पति में अपीलांट का हक व हिस्सा निहित है। चुंकि उक्त आराजी अभिलेख में अपीलांट के पिता भूराराम के नाम 1/2 हिस्से की दर्ज थी तथा 1/2 पर भूराराम का कब्जा–काश्त था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्य पेश कर तथा न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र गवाह पेश कर गलत रूप से साक्ष्य करवाकर उक्त अपीलाधीन डिक्री पारित करवाई है। जबकि भूराराम विवाहित हैं तथा अपीलांटस् उसके विधिक वारिसान हैं। विधिक वारिसान को जीवित मौजूद होते हुए उक्त तथ्य को छुपाकर पॉचाराम ने अपीलांटस् के हितों व अधिकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को हड़प करने की नियत सें उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पश्चात् सुनवाई की जाकर उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतित होता है।

रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद खातेदारी हक के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा वाटैरा तहसील बागोड़ा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 के माफिक नीवन खसरा संख्या 57 रकबा 3.87 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 288 रकबा 4.99 हैक्टर जुमले रकबार 8.86 हैक्टर में खातेदारी हक दिलाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विधि विरूद्ध पेश किये गये तथ्यो को आधार बनाकर के निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध आधारहिन तथ्य है। जिनकी पुष्टी में अधीनस्थ न्यायालय में "राजकीय पैरोकार द्वारा दिनांक 24.07.2008 द्वारा जवाब दावा पेश कर यह निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राउता द्वारा जारी उतराधिकारी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है जो विधि अनुसार नही है। अतः बगैर ठोस सबुत के प्रार्थी को वाद का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।" राजकीय पैरोकार के जवाब दावे से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कुटरचित दस्तावेजों को आधार मानकर अपीलांट के पिता भूराराम को अविवाहित फौत होना मानते हुए हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी रेस्पोडेन्ट पॉचाराम को मानकर अपीलांट की पुश्तैनी भुमि को पॉचाराम के खातेदारी दर्ज की गई जो न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अपीलांट नाथुराम द्वारा अपील में अपने पिता भूराराम का मृत्यु प्रमाण पेश किया है जिसमे भूराराम की मृत्यु दिनांक 20.05.1995 होना बताया गया है। साथ ही दिनांक 02.01.2004 को भूराराम की पत्नी की मृत्यू होना बताया गया है जिससे स्पष्ट होता है की भूराराम विवाहित था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्यों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत कर खातेदारी प्राप्त की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2008 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को

साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन जोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली